रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5 , 2017/आषाढ़ 14, 1939
No. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5 , 2017/ASADHA 14, 1939

भारतीय दन्त परिशद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून , 2017

सं. डीई–22–2017–भारतीय दन्त परिषद, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति और मौजूदा विनियम जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग–III, खंड 4 में (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) दिनांक 12.01.2006 को भारतीय दन्त परिषद प्रधान विनियम 2006" अधिसूचित किये गये थे, में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

1. **संक्षिप्त भीर्शक और प्रारंभण:–**
   (i) ये विनियम "भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) (ग्यारहवां संशोधन), विनियमन 2017 कहा जायेगा"।
   (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. प्रमुख विनियम, 2006 के विनियम 6 के उप–विनियम (2) के खंड (ज) के मौजूदा परंतुक के पश्चात निम्नलिखित नए परंतुक निम्नानुसार शामिल किए जाएंगे :–
   आगे यह प्रावधान किया जाता है कि यदि आवेदक प्रधान विनियम के अनुबंध–1 में उल्लिखित प्रोफाइल और समय–समय पर इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार प्री–क्लीनिकल, पैरा–क्लीनिकल और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के साथ न्यूनतम 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल का स्वामी हो और उसका प्रबंधन करता हो तो संबद्ध चिकित्सा कॉलेज से प्रस्तावित दन्त कॉलेज से केवल 30 कि.मी. तक की दूरी को छूट दी जाएगी।
3. निम्नलिखित परंतुक के द्वारा प्रधान विनियम, 2006 के विनियम 6 के उप–विनियम(2) के खंड (जज) के मौजूदा परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   आगे यह प्रावधान किया जाता है कि दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ए के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ओरल और मैक्सिलोफेसियल सर्जरी की स्पेशियलिटी में एमडीएस पाठ्यक्रम की शुरूआत करने की अनुमती तब तक नहीं प्रदान की जाएगी जब तक इच्छुक विद्यमान दन्त कॉलेज सड़क द्वारा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी चिकित्सा कॉलेज के साथ संबद्धन न हो; किन्तु यदि आवेदक मूल विनियम के अनुबंध–1 में उल्लेखित प्रोफाइल और समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार प्री–क्लीनिकल, पैरा–क्लीनिकल और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के साथ

न्यूनतम 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल का स्वामी हो और उसका प्रबंधन करता हो तो संबधद्क चिकित्सा कॉलेज से 10 कि. मी. की दूरी में सड़क मार्ग द्वारा 30 कि.मी. तक की दूरी को छूट प्रदान की जा सकती है।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./135/17]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियम, नामश्या, "डी.सी.आई. (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006" दिनांक 12.01.2006 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग–III के खंड–4 में प्रकाशित और दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 02.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किये गये थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. DE-22-2017.— In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the existing Principle "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006 namely:—

1. **Short title and Commencement.**—
   (i) These Regulations may be called the Draft "Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Traininga nd Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (11th Amendment) Regulations, 2017."
   (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in theOfficial Gazette.

2. The following new proviso, after the existing proviso of clause (h) in sub-regulations (2) of Regulations 6 of the principal Regulations, 2006, be inserted as under:-

"Provided that the distance of the attached medical college shall be relaxable only upto 30 kms, if the applicant owns and manages a General Hospital of not less than 100 beds with necessary infrastructure facilities including teaching pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences, as per profile prescribed at annexure-I of the principal regulations and amended from time to time, in the campus of the proposed dental college.

3. The following proviso be substituted with the existing proviso of clause (hh) in sub-regulations (2) of Regulations 6 of the principle Regulations, 2006, as under:-

"Provided that, no permission for starting of MDS Course in the speciality of Oral and Maxillofacial Surgery shall be granted by the Central Government u/s 10A of Dentists (Amendment) Act, 1993 unless and until the desirous existing dental college is attached with a Government/Private Medical college approved/recognized by the Medical Council of India located at the distance of 10 kms. by road but the distance of 10 kms. at the attached medical college shall be relaxable up to 30 kms. by road, if the applicant owns and manages a General Hospital of not less than 100 beds with necessary infrastructure facilities including teaching pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences, as per profile prescribed at annexure-I of the principal regulations and amended from time to time, in the campus of the proposed dental college."

DR. SABYASACHI SAHA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./135/1]

Foot Note : The Principal Regulation namely, the "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India, Extraordinary, on vide Notification dated the 12th January, 2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.10 11:34:40 +05'30'